210

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक– /2013/निगरानी

श्री एस. एल. चाकड़ Adv द्वारा आज दि. 23/1/13 को प्रस्तुत 23-1-13 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R 304- PBR/13

1. श्रीमती मायाबाई वेवा पत्नी स्व0श्री इमरत चमार
2. मोहन सिंह पुत्र स्व0श्री इमरत चमार, निवासीगण–ग्राम बनबीर खेड़ी तहसील आरोन जिला गुना (म0प्र0)

----*आवेदकगण*

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना (म0प्र0)

----*अनावेदक*

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 31.03.2005 पारित न्यायालय अपर कलेक्टर जिला गुना म0प्र0) प्रकरण क्रमांक– 438/98–99/स्वनिगरानी

SL Chakad Adv 23/1/13

माननीय न्यायालय,

आवेदकगणों की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:–

शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

1– यहकि, ग्राम बनबीर खेड़ी के भूमि सर्वे क्रमांक–105 रकवा 1.891 हैक्टैयर भूमि के मिन रकवा 0.732 हैक्टेयर पर आवेदकगण के स्व0 पिता इमरत का वर्ष 1984 के पूर्व से ही उक्त विवादित भूमि को मेहनत, मजदूरी, धन, एवं हलबेलों से जोतकर कृषि योग्य बनाकर कृषि कार्य करते हुये अपने परिवार का पालन पोषण करते हुये चले आ रहे थे।

2– यहकि, उक्त विवादित भूमि के मिन रकवा का व्यवस्थापन कराने के लिये एक आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 304-पीबीआर/2013 जिला- गुना

श्रीमती मायाबाई आदि विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला- गुना के प्रकरण क्रमांक 438/स्व.निगरानी/98-99 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को आयुक्त, ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	